न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी: पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

अपील सं0 51/2020

1. लोकमान्य सिंह पुत्र ठा0 कुशालसिंह जाति राजपूत निवासी श्यामपुरा पंचायत बडियाल खुर्द तहसील बसवा जिला दौसा।

...अपी0

बनाम

1. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बांदीकुई तहसील बसवा जिला

..रेस्पो0

अपील विरूद्ध आदेश क्रमांक /चुनाव/2020/3205 दिनांक 24.12.2020 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पिंकी कुमारी मीना (उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई) ।

उपस्थित : 1. श्री जी0बी0 शर्मा अधिवक्ता अपी0 पक्ष।

<u>निर्णय</u> दिनांक 04.01.2021

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा अपना नाम नगर पालिका बांदीकुई की मतदाता सूची से विलोपित कर ग्राम श्यामपुरा में मतदाता सूची मे जोडने संबंधी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसको निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बांदीकुई के आदेश दिनांक 24.12.2020 द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। अपीलांट द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (उपखंड अधिकारी) बांदीकुई के उक्त आदेश दिनांक 24.12.2020 से व्यथित होकर अपील न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख व रिपोर्ट मय टिप्पणी तलब की गई।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस मे निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा दिनांक 29.11.2020 को भारत निर्वाचन आयोग के प्रारूप संख्या 06 को भरकर अपना स्वयं का नाम बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के ग्राम श्यामपुरा मे नाम जुडवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर संबंधित बी0एल0 ओ0 द्वारा समस्त जांच कर अपीलांट का नाम भाग संख्या 34 अनुभाग सं0 11 मुख्य गांव श्यामपुरा मे रहना पाया जाने की रिपोर्ट प्रेषित की थी। लेकिन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बांदीकुई द्वारा अपीलांट का नाम मतदाता सूची मे नहीं जोडा गया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 19 का हवाला निर्णय मे दिया गया है। जिसमे स्पष्ट तौर से लिखा है कि धारा 19 (बी) मे ''इज ओरडीनरी रेजीडेन्टस इन ए कान्स्टीटयून्सी, सैल बी एनटाईटल्ड टू बी रजिस्टर्ड इन दा इलेक्ट्रॉल रोल फार देट कान्सटीटयून्सी '' के आधार पर अपीलांट का नाम मतदाता सूची मे जोडा

जानो आवश्यक था। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1950 की धारा 20(1) अपीलांट पर लागू नहीं होती है। भारत से बाहर निवास कर रहे व्यक्ति के लिए उक्त धारा का उपयोग किया जा सकता है। कार्यालय आदेश दिनांक 18.12.2020 द्वारा अपीलांट द्वारा मतदाता सूची मे नाम जुडवाने हेतु प्रस्तुत आवेदन की जांच सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी बसवा व विकास अधिकारी बांदीकुई को कमेटी गठित कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेश जारी किये गये। जिस पर 19.12.2020 को जांच कमेटी मौके ग्राम श्यामपुरा ग्राम पंचायत बडियालखुर्द में एक मौका पर्चा जांच कमेटी द्वारा तैयार किया गया। जिसमें अपीलांट का ग्राम श्यामपुरा के वार्ड संख्या 4 में करीब एक डेड वर्ष से निवास करना मौका रिपोर्ट में तथ्य अंकित किये गये है। उक्त रिपोर्ट को दरकिनार कर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एस0डी0एम0 बांदीकुई द्वारा मनमर्जी से अपने पद का दुरूपयोग कर उक्त जांच कमेटी को अपने निर्णय में सम्पुष्ट नहीं किया जाकर भारी भूल की है। दिनांक 19.12.2020 की रिपोर्ट को दरकिनार करने के लिए दिनांक 23.12.2020 को गठित की गई पूर्व के जांच अधिकारी सहायक तहसीलदार बसवा विकास अधिकारी पंचायत समिति बांदीकुई के अलावा अधिशाषी अधिकारी, नगरपलिका बांदीकुई को शामिल कर यह आदेश दिया कि 3 दिवस में जांच कर रिपोर्ट पेश करे। उक्त कमटी द्वारा मौके पर नहीं जाकर कार्यालय में बैठकर ही निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एस0डी0एम0 बांदीकुई की मनचाही रिपोर्ट तैयार की गयी। उक्त रिपोर्ट का हवाला देकर अपीलांट का नाम मतदाता सूची में नहीं जोडने के लिए उक्त झूंठी व जालसाजी तैयार की गई है। अतः अपील स्वीकार की जाकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी(एस0डी0एम0) बांदीकुई के आदेश कमांकःचुनाव/2020/3205 दिनांक 24.12.2020 को निरस्त कर अपीलांट का नाम मतदाता सूची श्यामपुरा के वार्ड संख्या 4 बडियाल खुर्द में अंकित किये जाने के सक्षम निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एस0डी0एम0 बांदीकुई को आदेश दिये जावें।

उपखंड अधिकारी बांदीकुई से प्राप्त टिप्पणी के अनुसार अपीलांट श्री लोकमान्य सिंह पुत्र श्री कुशाल सिंह जाति राजपूत निवासी श्यामपुरा पंचायत बडियाल खुर्द में मतदाता सूची में उनका नाम नगर पालिका बांदीकुई की मतदाता सूची से विलोपित कर ग्राम श्यामपुरा मतदाता सूची में नाम जोडने संबंधी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसके संबंध मे दिनांक 23.12.2020 के सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं तहसीलदार बसवा ,विकास अधिकारी पंचायत समिति बांदीकुई, अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका बांदीकुई की कमेटी गठित कर अपीलार्थी का आवेदन पत्र बाबत मतदाता सूची मे नाम जोडने अथवा आवेदन रद्द करने के संबंध मे स्पष्ट जांच रिपोर्ट चाही गई थी। जांच कमेटी द्वारा संयुक्त जांच रिपोर्ट दिनांक 23.12.2020 को प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार अपीलार्थी ग्राम श्यामपुरा सामान्यतः निवासी नहीं होने के कारण मतदाता सूची मे नाम जोडना विधि अनुकूल प्रतीत नहीं होना प्रकट किया गया। उक्त कमेटी की जांच रिपोर्ट के विवेचन के आधार पर एवं विहित एक्ट **Extract From The Representation of people Act 1950** के **section 19 (sub.by Act 58 of 1958,s.7for s.19)** के बिन्दु संख्या बी में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि **"Is ordinarily resident in a consitituency,** इसी एक्ट के सेक्शन नं.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील सं0 51/2020

20(1) में अंकन है कि सामान्यतः किसी भी व्यक्ति की संपत्ति, निवास, कब्जे के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी क्षेत्र का मतदाता नहीं माना जा सकता है। उक्तानुसार एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में विहित प्रावधानों के आधार पर आवेदक का नाम श्यामपुरा ग्राम पंचायत बडियाल खुर्द विधानसभा बांदीकुई की मतदाता सूची में नाम जोडा जाना विधि अनुकूल नहीं होने से आवेदन को निरस्त किया गया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली मे संलग्न अपीलांट का आवेदन पत्र पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बांदीकुई द्वारा आवेदन प्ररूप 6 के अनुसार "आवेदन पत्र के संबंध मे शिकायत पत्र प्राप्त होने के पश्चात संयुक्त जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का रहवास प्रार्थी उक्त पते (आवेदन पते के अनुसार) पर सामान्यतः नही पाये जाने के कारण आवेदन अस्वीकार किया गया है।" अंकित किया गया है। प्रार्थी के विरूद्ध की गई शिकायत संबंधी प्रार्थना पत्र पत्रावली में संलग्न है। नगर पालिका चुनाव निर्वाचन नामावली, 2020 नगरपालिका बांदीकुई वार्ड संख्या 27 के पृष्ठ संख्या 20/26 का अवलोकन पर मात्र अपीलार्थी का नाम ही डिलीटेड किया गया है, अन्य परिवारजन पूर्व के पते पर ही मतदाता है। अपीलार्थी द्वारा पूर्व मे दिनांक 24.12.2019 को ग्राम पंचायत बडियाल खुर्द के वार्ड नं0 8 की निर्वाचक नामावली मे नाम सम्मिलित किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसको प्रगणक की रिपोर्ट दिनांक 01.01.2020 के अनुसार आवेदक को मूल रूप से नगर पालिका क्षेत्र बांदीकुई का निवासी माना गया था। जिसके आधार पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत)(तहसीलदार) बसवा द्वारा आवेदन पत्र अस्वीकार किया गया था। अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका बांदीकुई द्वारा पत्रांक 4370 दिनांक 23.12.2020 को उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई को प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार भी अपीलार्थी व इनके परिवार का वर्तमान निवास स्थान नगर पालिका बांदीकुई क्षेत्र वार्ड नंबर 37 मे होना अवगत करवाया है। पत्रावली मे संलग्न निर्वाचक नामावली विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई भाग सं0 114 के के क्रम संख्या 484 पर अपीलांट का नाम अंकित है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बांदीकुई द्वारा प्रकरण मे विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है, जिसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बांदीकुई का निर्णय दिनांक 24.12.2020 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख व निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

Web Copy - Not Official

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 04 जनवरी, 2021 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा

अभिभाषकता स्वीकार